Online Generated

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2019/11931/GZB/GHAZIABAD/897/CFO
दिनांक: 22-05-2021

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ST THOMAS SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता **ST THOMAS SCHOOL GYAN KHAND-2 INDIRAPURAM,INDIRAPURAM,GHAZIABAD** तहसील - **GHAZIABAD**, प्लाट एरिया **10625.60 sq.mt** , कुल कवर्ड एरिया **2791.523** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
NEW BLOCK GROUND AND 3 FLOOR	4	1	16.50 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **ST THOMAS SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **27-05-2021** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **BINEESH PT** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **29-05-2021** से **28-05-2024** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **ST THOMAS SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **ST THOMAS SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : -

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा | यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है |"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)

Digitally Signed By
(SUNIL KUMAR SINGH)
[0413854550B7A3F51D5ACB26194051C1EABA41A4]
29-05-2021

निर्गत किये जाने का दिनांक : 29-05-2021
स्थान : GHAZIABAD

Provisional NOC for Auditorium - fire.

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)
Provisional Certificate

यूआईडी संख्या: *UPFS/2019/11931/GZB/GHAZIABAD/897/CFO*

दिनांक:*25-09-2019*

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ST THOMAS SCHOOL** *(भवन/प्रतिष्ठान का नाम)* पता **ST THOMAS SCHOOL GYAN KHAND-2 INDIRAPURAM,GYAN KHAND-2,GHAZIABAD** तहसील - **GHAZIABAD** जिसमें

बृलॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
NEW BLOCK	*4*	*1*	*17.10 mt.*

तथा प्लाट एरिया **10625.60 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **ST THOMAS SCHOOL** *(भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम)* द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एन0बी0सी0 एवं ततसम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है। इस भवन को प्राविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र *(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी)* **Educational** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन मे सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण होने के उपरान्त तथा भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र *(Fire & Life Safety Certificate)* प्राप्त किया जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा |"

निर्गत किये जाने का दिनांक: **08-10-2019**

स्थान: **GHAZIABAD**

हस्ताक्षर-
निर्गमन अधिकारी-
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)

Digitally Signed By
(SUNIL KUMAR SINGH)
[110B4B6BED46BD106EE95EFC699B193A749F0342]
08-10-2019

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

I.S.O.-9001-2000 एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पत्रांक 438 / मा0प्लान / जोन–6 / 2016 दिनांक 09/6/2016

सेवा में,

वरिष्ट पुलिस अधीक्षक
गाजियाबाद।

विषयः स्कूल भूखण्ड ज्ञानखण्ड–द्वितीय, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद पर स्कूल के निर्माण हेतु आपत्ति / अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त स्थल सेन्ट थामस आर्थोडोम्स चर्च सोसाईटी(रजि0) के चेयर मैन फादर साजी योहन्नन के द्वारा स्कूल भूखण्ड ज्ञानखण्ड–द्वितीय, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद पर स्कूल के निर्माण हेतु मानचित्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मानचित्र पर अंकित अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित उपायों का अवलोकन कर पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिन के अन्दर आपत्ति / अनापत्ति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–

1. मानचित्र की 3 प्रतियॉं।

भवदीय

(आर0सी0पाण्डेय) 9/06/16
नगर नियोजक

पृष्ठांकन : .... / मा0प्लान / जोन–6 / 2016 दिनांक ....

प्रतिलिपिः

1. सेन्ट थामस आर्थोडोम्स चर्च सोसाईटी(रजि0) द्वारा अधिकृत फादर साजी योहन्नन, सै0–04, लाजपत नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नगर नियोजक

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गाजियाबाद
0.... 13/6/14

कार्यालय निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांकःस–12/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–16(गाजि0)/206/520 दिनांकः जुलाई 8 2016,

सेवा मे,

नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय– मै0 सेन्ट थामस आर्थोडोम्स चर्च सोसाइटी(रजि0)द्वारा स्कूल भूखण्ड,ज्ञान खण्ड–2,इन्दिरापुरम गाजियाबाद पर प्रस्तावित सेट थामस स्कूल भवन को मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ यूआईडी नम्बर–2016/22442/जीजेडबी/गाजि0/1450/जेडी

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक नगर नियोजक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के पत्र संख्याः 438/मा0प्लान/जोन–6/2016 दिनाकः 09–06–2016 पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पृष्ठांकन आदेश पत्रांक नं0–466/16 दिनांकः21–06–2016 एवं मे आपके पृष्ठांकन आदेश दिनाकः 21–06–2016 के अनुपालन मे अग्निशमन अधिकारी वैशाली से मानचित्रों का परीक्षण कराया गया उनकी आख्याः28–06–2016 पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद, पुलिस अधीक्षक नगर एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद की कमेटी द्वारा मानचित्रों का परीक्षण कर कमेटी आख्या सहित पत्रावली इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी, मानचित्रों एवं अभिलेखो का अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण/परीक्षण किया गया, आख्या निम्नवत है–

(ए) प्रश्नगत भूखण्ड पर स्कूल का अधिकांश भाग पूर्व से निर्मित है कुछ भाग पर निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

भवन की संरचनाः–

कुल प्लाट एरिया–10625.60 वर्गमीटर है।जिसका फलोरवाईज एरिया विवरण निम्नवत है–

कमांक	तलों का विवरण	पूर्व निर्मित तलो का एरिया वर्ग मीटर	वर्तमान मे प्रस्तावित	पूर्व निर्मित+प्रस्तावित कवर्ड एरिया वर्ग मीटर	अधिभोग
1–	भूतल	2257.947	571.18	2829.18	क्लास रूम
2–	प्रथम तल	2176.147	508.17	2684.317	क्लास रूम
3–	द्वितीय तल	2257.947	529.35	2787.297	क्लास रूम
4–	तृतीय तल	2257.947	25.79	2283.737	क्लास रूम
5–	बेसमेन्ट एरिया	683.173	612.71	1295.883	पार्किंग

भवन की ऊचाई–15.60 मीटर है।

भवन का अधिभोग विवरणः–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0–2005 की एजूकेशनल श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1–पहुँच मार्गः–भूखण्ड के सामने रोड की चौडाई–45 एवं 18 मीटर है।

2–प्रवेश द्वारः–प्रष्नगत भवन मे प्रवेश द्वार की चौडाई–6.00 मी0 है।

3–सैटबेकः–प्रष्नगत भवन में सैटबैक निम्नवत है।

ए0–अग्रभाग–9.00 मीटर।

बी0–पृष्टभाग–6.00 मीटर

सी0–पार्श्व भाग प्रथम–04.50 मीटर तथा 24 मरटर रोड की चौडाई है।

डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–6.00 मीटर

प्रश्नगत भवन पूर्व से संचालित एवं मान्यता प्राप्त है, जिसकी सी0बी0एस0ई0 रीजनल एरिया इलाहाबाद के पत्रांकः 54025 दिनांकः 22–10–2003 एवं 211117/16308–।। दिनांकः 22–09–2003 है। प्रस्तावित भवन निर्मित भवन से जुडा है, पूर्व से निर्मित भवन के मानचित्र गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के शमन आदेश दिनॉकः 24–02–2014 द्वारा स्वीकृत किये गये है जिसके अनुसार पार्श्व भाग प्रथम मे 4.50 मीटर सेटबैक स्वीकृत है।(पूर्व स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति संलग्न है।)

4–निकास मार्गः–प्रस्तावित भवन में दो (02) स्टेयर केस 1.5 मीटर चौडी प्रस्तावित है जिनकी फलोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5–रिफ्यूज एरियाः– प्रस्तावित भवन में ऊचाई के सापेक्ष रिफयूज एरिया वॉच्छनीय नही है।

8/7

(पी0 के0 राव)
निदेशक, फायर सर्विस
उ0 प्र0 लखनऊ

प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः–प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 मानको के अनुसार निम्न अग्निशमन व्यवस्थाओ स्थापित करायी जानी वॉच्छनीय है।
1–टेरिस टैंकः–प्रष्नगत भवन के टैरेस पर 25,000 लीटर क्षमता का एक टेरिस टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
2–टैरिस पम्पः–प्रस्तावित भवन में टैरिस टैंक के पास 900 एलपीएम की टैरिस पम्प मानकों के अनुसार वॉछनीय है।
3–होजरील मय डाउनकमरः– प्रस्तावित भवन में प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप एवं ब्रान्च पाइप आई0एस0–3844/एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।
4–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः–प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
5–मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल पर मैनुअली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
6–प्राथमिक अग्निषमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूषर्स):–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।
7– पी0ए0 सिस्टमः–प्रस्तावित भवन के समस्त तलों पर पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।
8– एग्जिट साईनेजः– प्रस्तावित भवन के समस्त तलों पर एग्जिट साईनेज की स्थापना एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

उपरोक्तानुसार मैसर्स सेन्ट थामस आर्थोडोम्स चर्च सोसाइटी(रजि0)द्वारा स्कूल भूखण्ड,ज्ञान खण्ड–2,इन्दिरापुरम, गाजियाबाद पर प्रस्तावित सेंट थामस स्कूल भवन को मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति इस षर्त के साथ की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 तथा नेषनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 में उल्लिखित मानको के अनुसार करायें जायेगें तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थायें मानको के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निषमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निषमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जाने वाला अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।

(पी0के0राव)
निदेशक,फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।

(पी0 के0 राव)
निदेशक, फायर सर्विस
उ0 प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3–अग्निशमन अधिकारी वैशाली गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–मैसर्स सेन्ट थामस आर्थोडोम्स चर्च सोसाइटी(रजि0)द्वारा स्कूल भूखण्ड,ज्ञान खण्ड–2,इन्दिरापुरम, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रोफार्मा-अ

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला

फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

क्रम सं० 0501

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश

दिनांक 20/07/16

पत्र संख्या E-FSV/2015

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक, मै० सैन्ट थॉमस स्कूल

ज्ञान खण्ड-2 इन्दिरापुरम

जनपद गाजियाबाद

विषय :- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके प्रार्थना पत्र सख्या शून्य दिनांक 16/7/2016

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध उन्तीस अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:-1120(1) / आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपये दो सौ नब्बे भारतीय स्टेट बैंक शाखा राजनगर जनपद गाजियाबाद में चालान संख्या R130317 दिनांक 19/7/2016 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त उन्तीस अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1. चेकिंग का दिनांक। 19.07.2016
2. पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम। X
3. संस्थान का विवरण। स्कूल
4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। उन्तीस
5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। उन्तीस
6. चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
1.	ABC टाइप	05 किग्रा०	27	कार्यशील
2	CO_2 टाइप	4.5 किग्रा०	02	कार्यशील
	—	—	—	—

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरों के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक / भवन स्वामी का होगा।

(ए० के० ...) (नाम एवं हस्ताक्षर)

अग्निशमन अधिकारी

वैशाली, गाजियाबाद

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद।
2. उप निदेशक परिक्षेत्रीय मेरठ।

ST.THOMAS SCHOOL

INDIRAPURAM

(Affiliated to C.B.S.E. vide No. 2130572)

Ref:...............

Dated : 14th September , 2017

The Vice Chairman
Ghaziabad Developing Authority
Ghaziabad, Uttar Pradesh .

Sub :- Request to construct Humps/ Speed Breakers infront of the School Gate .

Sir,

This is to request you that we are having a student strength of approximately 3000. During morning and dispersal time we are having great difficulty in managing road traffic, buses as well as students at the same time. Major strength is coming from Indirapuram , vaishali areas and find difficulty in crossing the roads due to heavy running traffic .

We have requested your office earlier also to construct humps / Speed breakers to control the speed of the vehicles outside the gate of our school . We find very risky in making students cross the roads.

Hence, we are requesting your good self to kindly look into the matter and help us in the possible way.

Thanking You,

Yours Truly,

Fr.Shaji Mathews
Chairman

Fr. Shaji Mathews
Chairman
St. Thomas School
Gyan Khand-II, Indirapuram
Ghaziabad (U.P.)

ST. THOMAS ORTHODOX CHURCH SOCIETY (Regd.)

(Registration No. 831/1980-81)

Sector -IV, Lajpat Nagar
Sahibabad, Ghaziabad-201 005 (U.P.)

Date: 14th Spetember,2017

To,
The Vice Chairman
Ghaziabad Development Authority
Ghaziabad, Uttar Pradesh

Sub: **Request for approval of Building Plan the School Additional Block.**

Ref: **Additional Block, St Thomas School, Indirapuram, Ghaziabad.**

Sir,

With reference to the letter No. 436/मा·प्लान/जोन-6/2016 dated 07.06.2016 regarding the subject "स्कूल भूखण्ड, ज्ञानखण्ड-द्वितीय, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद पर निर्माण हेतु प्रस्तावित मानचित्र सं 428/जोन-6/प्ला/15-16 दिनांक 22.09.15 के संबंध में".

I am grateful for the Provisional Approval for the School Additonal Block.

However, we are getting delayed in getting a final confirmed approval from your office due to which we are not able to continue the process.

We have a student strength of approximately 3000. Currently, we are facing issues in conducting important events and functions in our school due to which we are, at times, forced to book an outside venue for such activities. This pose as an inconvenience to parents and students. We have shortage of sufficient space to accommodate the entire school for any important programmes like Annual Day, Special Assemblies, Workshops, Inter school competitions, etc. This is the main reason behind our school planning to have an Additional Block .

We earnestly request you to kindly accord your approval and provide us with the NOC enabling us to start the construction work.

Thanking You

Yours faithfully

Fr. Shaji Mathews
Chairman
St. Thomas School
Gyan Khand-II, Indirapuram
Ghaziabad (U.P.)

Fr. Shaji Mathews
Chairman
St.Thomas Orthodox Church Society (Regd.), Ghaziabad

Indirapuram Auditorium Block
Approval Letter (Original)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद
I.S.O.-9001-2000 एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पत्रांक 436/मा0प्लान/जोन–6/2016 दिनांक 7/6/2016

सेवा में,

सेन्ट थामस आर्थोडोम्स चर्च सोसाईटी(रजि0)
द्वारा अधिकृत फादर साजी योहन्नन
सै0–04, लाजपत नगर,
साहिबाबाद, गाजियाबाद

विषयः– स्कूल भूखण्ड ज्ञानखण्ड–द्वितीय, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद पर निर्माण हेतु प्रस्तावित मानचित्र सं0–428/जोन–6/Ins/15–16 दिनांक 22.09.2015 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक स्कूल भूखण्ड ज्ञानखण्ड–द्वितीय, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद पर निर्माण हेतु प्रस्तावित मानचित्र सं0–428/जोन–6/Ins/15–16 दिनांक 22.09.2015 की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 04.06.2016 को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी हैः–

1. निरीक्षण शुल्क रू0 38,641.00 (अड़तीस हजार छः सौ इक्तालीस रूपये मात्र) एवं अनुरक्षण शुल्क रू0 4,55,053.00 (चार लाख पच्चपन हजार तिरपन रूपये मात्र) प्राधिकरण कोष में जमा कराने होगें।
2. कार्यालय आदेश सं0–342/नियो0अनु0/12 दिनांक 11.06.2012 के क्रम में भवन की कुल निर्माण लागत का 1 प्रतिशत धनराशि रू0 2,75,032.00 (दो लाख पिच्छहत्तर हजार बत्तीस रूपये मात्र) लेवर सेस की मद में यू.पी. बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स. वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के पक्ष में जमा कराकर प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
3. वित्त नियन्त्रक महोदय के आदेश दिनांक 08.08.13 के अनुपालन में राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत धनांक रू0 50,000/– की एन.एस.सी. प्रस्तुत करनी होगी।
4. प्रस्तावित भवन में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु रू0 2,00,000/– (दो लाख रूपये मात्र) की जमानत राशि की एफ.डी.आर. जमा करायी जानी है, जो कि भवन सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण एवं यथोचित संचालन की पुष्टि होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
5. शपथ पत्र दिनांक 05.10.2015 तथा विक्रय विलेख की समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा तथा स्ट्रक्चर का भूकम्परोधी संरचना सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. स्थल पर स्थित टम्परेरी शैड, जो कि स्वीकृत शमन मानचित्र में टू–बी डिमोलिश दर्शाया गया है को तोडना आरम्भ कर दिया गया है, को स्थल पर निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व हटाना सूनिश्चित करना होगा।
7. आप द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 24.05.2016 के अनुसार निर्मित बैसमेन्ट में वर्तमान में संचालित पुस्तकालय, कम्प्यूटर रूम एवं प्रार्थना हॉल के रूप में की जा रही गतिविधियां बन्द कर दी गयी है। आपको इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि "बेसमेन्ट की उपयोग स्टोर व पार्किंग के रूप में ही किया जायेगा।"
8. मानचित्र निर्गत से पूर्व व्यवसायिक अनुभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकण की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।
9. भवन उपयोग से पूर्व भवन सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

10. भू–स्वामित्व सम्बन्धी अथवा अन्य किसी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में मानचित्र पर दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
11. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गाजियाबाद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्राधिकरण कार्यालय में जमा किये जाने के उपरान्त ही मानचित्र निर्गत किया जायेगा।
12. सम्बन्धित अनुभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तो का अनुपालन सुनिशिचत करना होगा।
13. मानचित्र में प्रदर्शित उपयोग के अनुसार ही भवन का उपयोग किया जायेगा।
14. शासनादेशों को अनुनालित करते हुए आवश्यक वृक्षारोपण, वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्रों तथा अग्निशमन व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करनी होगी।
15. संरचना सुरक्षा एवं गुणवत्ता का दायित्व भू–स्वामी/विकासकर्ता का स्वयं का होगा। प्राधिकरण का इसमें कोई दायित्व नही होगा।
16. भवन निर्माण सामग्री, भूखण्ड परिसर के अन्दर ही रखनी होगी।
17. निर्माण अवधि में स्थल पर कार्यरत श्रमिको हेतु शॉचालय आदि जनसुविधाओं का पर्यावरण के अनुकूल प्रविधान करना होगा।
18. शमन मानचित्र एवं पूर्व स्वीकृत मानचित्र की समस्त शर्ते यथावत रहेंगी।
19. अधिष्ठान एवं उसमें कार्यरत श्रमिको का श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक होगा।
20. निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जायें, निर्माण सामग्री के परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामाग्रियों पर पानी का छिरकाव किया जायें एवं डस्ट सस्पेशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जायें। इसके साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जायें कि निर्माण सामाग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जायें।
21. बैसमेन्ट की खुदाई से पूर्व खनन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
22. बैसमेन्ट एव भवन निर्माण के समय सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा किसी भी प्रकार की क्षति के सम्बन्ध में निर्माणकर्ता/भू–स्वामी स्वंय उत्तरदायी होंगे।
23. शासनादेश के क्रम में सौर ऊर्जा/संयत्र का प्राविधान करना अनिवार्य होगा।
24. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित दिशा निर्देशों का निर्माण स्थल पर अनुपालन करना सुनिश्चित होगा।
25. शासनादेश सं0–164/2015/2581/आठ–1–15–14 बैठक/14 दिनांक 09.12.2015 के क्रम में सौर ऊर्जा प्लान्ट/ संयन्त्र की स्थापना करनी होगी।

कृपया उपरोक्त औपचारिकताएं पत्र के तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण करने का कष्ट करें, जिससे मानचित्र निर्गत करने की कार्यवाही की जा सके। निर्धारित अवधि में धनराशि जमा न करने पर पत्र के तिथि से नियमानुसार दण्ड ब्याज देय होगा।

भवदीय

सहायक अभियन्ता
मा0प्लान जोन–6